न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः— 45/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

सायल

बनाम

मटोली पुत्र श्रीराम कौम ब्राहमण निवासी सिरसौदा हाल रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

गैर सायल

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1874/940 रकबा 0—03 वीघा के विरूद्ध आवंटन व गैर खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री फूलसिंह विनऊआ वकील गैरसायल।

निर्णय

दिनांक : 27.9.2018

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैर सायलान के के हक में नियमन/आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 1874/940 रकबा 0—03 वीघा किस्म गै0मु0 आगर पर हुक्मन व खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 1044, 1072.... इत्यादि को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव मण्डल को भिजवाये जावे। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से श्री फूलसिंह विनऊआ एडवोकेट उपस्थित। उनके द्वारा जबाब रैफरेंस प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील गैर सायलान की बहस नियत दिनांक 27.9.2018 को सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1874/940 रकबा 0.03 वीघा गै0मु0 आगर वाकै ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है। यह भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069—2072 में गैर सायल मटोली के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो वर्तमान में काबिज काश्त है। जबकि वर्णित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0 आगर (मकबूजा सरकार) के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्बत 2017—2020 के राजकीय खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 940/1—03 के रूप में रहा है। वर्णित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

भूमि पर हुकमन विनियमन तहसीलदार रूपवास आदेश दिनांक 14.11.1976 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1044 तथा पुनः संशोधित हुक्मन विनियमन तहसीलदार रूपवास आदेश दिनांक 13.2.1989 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1072 से जमाबन्दी सम्बत 2036–2039 के खाता संख्या 517 में गैर सायल मटोली गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ । यह भूमि राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है और उस पर विनियमन व खातेदारी अधिकार देना विधि विरूद्ध है। इसके अलावा उनका यह सभी कथन है कि वर्णित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 2.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के निर्देशों की पालना में यह प्रकरण तैयार किया गया है। वर्णित भूमि पर हुकमन विनियमन तहसीलदार रूपवास आदेश दिनांक 14.11.1976 व 13.2.1989 प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 1044,1072 निरस्त करने योग्य है। कथनों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2017–20, 2036–39, 2069–2072 एवं नामान्तरकरण संख्या 1044, 1072 की प्रमाणित प्रतियां एवं पटवारी रिपोर्ट संलग्न की गई है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 1874/940 रकबा 0.03 वीघा गै0मु0 आगर (मकबूजा सरकार) पर हुक्मन व खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 1044, 1072 को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख 01 में दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफरेंस करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील गैर सायल ने प्रार्थना पत्र रेफरेंस से इन्कार करते हुए जाहिर किया कि प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वकील गैर सायल का कथन है कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में एवं मौके पर भी न तो सिवायचक है न कभी सिवायचक रही है। तहसीलदार रूपवास द्वारा इस रैफरेंस में भूमि की किस्म गै0मु0 आगर की गलत व्याख्या की गई है। आगर का अर्थ एक मिट्टी के टीले से है न कि नदी नाले या पानी के तल की किसी भूमि से। मौके पर आज भी यह भूमि टीलेनुमा ही है। यह रैफरेंस जमाबन्दी सम्बत 2017–2020 को आधार बना कर भिजवाया गया है जबकि मुताबिक निर्णय उच्च न्यायालय जयपुर दिनांक 2.8.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 15.8.1947 का आधार रिकार्ड पेश करना चाहिऐ था जो पेश नहीं किया गया है। जहां तक धारा 16 आरटीएक्ट का प्रश्न है धारा 16 में किस्म गै0मु0 आगर का कोई जिक्र नहीं है। इस धारा के बिन्दु संख्या 2,3,4 में जलमग्न, तालाब, तल की भूमि, तथा अस्थिर खेती वाली भूमि को ही आवंटन/खातेदारी देने योग्य नहीं माना है। इस रैफरेंस में अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य को आधार बनाया गया है जबकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में कार्यवाही हेतु दिये गये सुझावों के अंतर्गत सर्वप्रथम ही यह अंकित किया गया है कि समस्त भूमियां जो नदी, नाले, नहर आदि के रूप में दिनांक 15.8.1947 के बाद जो कनवर्जन किये है वे अवैध है तथा भूमि सरकारी घोषित की जावे। इसमें गै0मु0 आगर का कोई हवाला नहीं दिया गया है क्यों कि यह भूमि इस श्रेणी में नहीं आती है। इस रैफरेंस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

में भूमि की किस्म गै0मु0 आगर की गलत व्याख्या, धारा 16 आरटीएक्ट की गलत व्याख्या, केस अब्दुल रहमान बनाम सरकार की गलत व्याख्या की गई है साथ ही आधार रिकार्ड 15.8.1947 भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार यह रैफरेंस बिना ठोस तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया है जो काबिल खारिजी के है। अप्रार्थी को नियमानुसार यह भूमि तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के हक में नियमानुसार गैतवाडे के प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है । वर्तमान में गैरसायल वखूबी राजस्व रिकार्ड पर एवं मौके पर कब्जे काश्त खातेदार के रूप में दर्ज है व काबिज है। माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय इस प्रकरण में कतई लागू नहीं होते। एक लम्बे अर्से के बाद किसी रिकार्डेड खातेदारी को यूं रैफरेंस/सरसरी कार्यवाही के माध्यम से कलमजन किया जाकर किसी भी व्यक्ति को उसके हक हकूको से महरूम नहीं किया जा सकता। यह रैफरेंस खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त कराने के लिये पेश किया गया है जो किसी आदेश की तारीफ में नहीं आता इसलिऐ यह रैफरेंस पोषणीय ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेखों के विपरीत जाकर रैफरेंस पेश किया गया है जो आधारहीन बेबुनियाद मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले मंसूखी है। अन्त में वकील गैर सायलान द्वारा निवेदन किया गया कि यह रैफरेंस दुर्भावनावश किया गया है बिना किसी आधार के कानून के विपरीत है इसलिऐ प्रस्तुत रैफरेंस खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस में मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 2.8.2004 को तथा रैफरेंस में अंकित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है को आधार बनाया जाकर रैफरेंस प्रस्तुत किया गया है। संलग्न रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2017-2020 में ख0नं0 1874/940 रकबा 0.03 बीघा किस्म जमीन गै0मु0 आगर दर्ज है। प्रार्थी/तहसीलदार रूपवास द्वारा भी अपने रैफरेंस प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को गै0मु0 आगर माना है। जबकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में कार्यवाही हेतु दिये गये सूझावों के अंतर्गत सर्वप्रथम ही यह अंकित किया गया है कि समस्त भूमियां जो नदी, नाले, नहर आदि के रूप में दिनांक 15.8.1947 के बाद जो कनवर्जन किये है वे अवैध है। इसके अलावा जहां तक धारा 16 आरटीएक्ट का प्रश्न है धारा 16 में किस्म गै0मु0 आगर का कोई जिक्र नहीं है। इस धारा के बिन्दु संख्या 2,3,4 में जलमग्न, तालाब, तल की भूमि, तथा अस्थिर खेती वाली भूमि को ही आवंटन/खातेदारी देने योग्य नहीं माना है। तहसीलदार रूपवास द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह भूमि नदी, नाले, नहर, जल भराव की भूमि माना जा सके। जबकि यह भूमि रिकार्ड के आधार पर किस्म जमीन गै0मु0 आगर दर्ज है लिहाजा इस जमीन की किस्म गै0मु0 आगर होने से अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबन्धित भूमि की परिधी में न आने के कारण यह रैफरेंस प्रकरण पोषणीय नहीं रहता है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी परीक्षण के जल्दबाजी में रैफरेंस पेश किया गया है जिसका हमारे ख्याल से अभी ट्रायल स्तर पर विधिवत जांच किया जाना वेहद आवश्यक है। यह रैफरेंस आधारहीन एवं ठोस राजस्व रिकार्ड का अभाव होने के कारण काबिले खारिजी के ही रहता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रैफरेंस खारिज किया जाता है प्रार्थी तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण की पुनः गहन जांच करें एवं आराजी के किस्म के संबध में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुये यदि प्रकरण को रैफरेंस योग्य पाते हो तो ही पुनः नये सिरे से मय गत एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड के रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2018 सरे इजलास सुनाया गया।

27/9

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर